

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर(राज०)

पीठासीन अधिकारी :-नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

दावा संख्या

दायर दिनांक

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक

1/71

23.05.2024

02.12.2025

बउनवान

01. आसीना पुत्र जैनु खॉ निवासी ग्राम नांगल टोडियार, तहसील मालाखेडा जिला अलवर
वादी

बनाम

01. रामफल पुत्र भवरिया
02. रामहेत पुत्र स्व० नारायण पौत्र भवरिया
03. हेतराम पुत्र स्व० नारायण पौत्र भवरिया
04. मोहन लाल पुत्र स्व० नारायण पौत्र भवरिया
05. रामसिंह पुत्र भवरिया
06. गंगाराम पुत्र भवरिया निवासीयान ग्राम नांगल टोडियार, तह० मालाखेडा जिला
अलवर राज०
07. उप पंजीयक, मालाखेडा जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण


09 तहसीलदार भू०अ० मालाखेडा जिला अलवर

तकमीली प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89,
188, राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

—: पर्चा डिक्री :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे विवादित आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण के
मध्य विभाजित किये जाने हेतु वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है जो इस प्रकार है
:-


उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

01. खसरा संख्या 598 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 599 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 600 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर आसीना खां पुत्र जैनू खां जाति मेव सा0 देह खातेदार

02. खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 597 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 601 रकबा 0.15 हैक्टेयर, किता 3 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर बहक नारायण, रामफल पुत्रान भवरिया जमिती गुर्जर, समान भाग सा0 देह गैर खातेदार

वाद मुताबिक कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है।

(नवज्याति कंवरिया)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर

जारी की गई।

(नवज्याति कंवरिया)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा

मालाखेडा (अलवर)